न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० — 75/2024

उनवान : —

1. राजकुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट सिहाग निवासी नेठराना त० भादरा।

वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र श्रीचन्द जाति जाट सिहाग निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. सतवीर पुत्र देवीलाल जाति जाट सिहाग निवासी नेठराना त० भादरा।
3. राजबाला पुत्री देवीलाल पत्नी जयप्रकाश बुडानियां जाति जाट सिहाग निवासी नेठराना हाल भनाई त० भादरा।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री एंड संतलाल कालिरावणा वादी
श्री संजय गौस्वामी प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 99/59 की कुल 15.6860है0 में प्रतिवादी देवीलाल के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से जवाब पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:52:58 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में वादी राजकुमार द्वारा मुख्य परीक्षा प्र... साक्ष्य प्रस्तुत किया गया व प्रस्तुत दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील ... ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 4 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 99/59 की कुल 15.6860है0 में प्रतिवादी देवीलाल के नाम 1/6 हिस्सा में प्रतिवादी देवीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल के साथ साथ वादी

Kalpit
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा रोही मौजा चक 4 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 99/59 की कुल 15.6860हे0 में प्रतिवादी देवीलाल के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 3 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 4 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 99/59 की कुल 15.6860हे0 में प्रतिवादी देवीलाल के नाम 1/6 हिस्सा नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल अकेले की बजाए वादी राजकुमार को 1/16 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 सतवीर 1/16 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/1/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:52:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०नं० – 75/2024

अनवान : –

1. राजकुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट सिहाग निवासी नेठराना त० भादरा।

वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र श्रीचन्द जाति जाट सिहाग निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. सतवीर पुत्र देवीलाल जाति जाट सिहाग निवासी नेठराना त० भादरा।
3. राजबाला पुत्री देवीलाल पत्नी जयप्रकाश बुडानियां जाति जाट सिहाग निवासी नेठराना हाल भनाई त० भादरा।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संतलाल कालीरावण व वकील प्रतिवादीगण श्री संजय गौस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 99/59 की कुल 15.6860है० में प्रतिवादी देवीलाल के नाम 1/6 हिस्सा नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 देवीलाल अकेले की बजाए वादी राजकुमार को 1/16 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 देवीलाल 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 2 सतवीर 1/16 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं० 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/1/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:52:58 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़